तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रामपाल बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 237/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी रामपाल विश्नोई, निवासी ग्राम झालामलिया, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.05.2022 में (1) राज्य सरकार द्वारा जारी खरीफ फसल आदान अनुदान राशि 2075 आज लगभग 2 वर्षो बाद भी नहीं मिली है, तहसीलदार भोपालगढ द्वारा बताया जाता है कि राशि के भुगतान हेतु बिल बनाकर जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवा दिए गए है जबकि उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई है उक्त राशि के भुगतान में इतना विलम्ब क्यों हुआ तथा साथ ही बताया जावे की उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1002 दिनांक 18.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कार्यालय के पत्रांक 785 दिनांक 13.06.2022 द्वारा प्रेषित कर इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा से सूचना अभी तक अपेक्षित है। रिपोर्ट में उक्त अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण इनको धारा 5(5) के तहत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कराने की प्रार्थना की। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा, कार्यालय हाजा ने सूचना तैयार कर उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा, कलक्टर कार्यालय (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	